

## विवरण 18

**राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का कुल अंतरण  
(राज्य के केन्द्रीय करों और शुल्कों के निवल प्राप्तियों के हिस्से को छोड़कर)**

(₹ करोड़ में)

| व्यय की मदें   | 2022-2023<br>वास्तविक | 2023-2024<br>बजट अनुमान | 2023-2024<br>संशोधित अनुमान | 2024-2025<br>बजट अनुमान |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>I. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें</b>   | <b>120366.30</b>      | <b>183613.38</b>        | <b>160986.37</b>            | <b>224644.81</b>        |
| क एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता  | 1665.89               | 10928.00                | 7000.00                     | 11474.00                |
| ख जीएसटी प्रतिपूर्ति में हुई कमी के बदले राज्यों को एक के बाद एक ऋण            | ...                   | 0.01                    | 0.01                        | ...                     |
| ग विदेशी सहायता वाली परियोजनाएं-अनुदान   | 4697.87               | 4900.00                 | 5000.00                     | 8000.00                 |
| घ विदेशी सहायता वाली परियोजनाएं-ऋण   | 28188.01              | 24550.00                | 29500.00                    | 33900.00                |
| ङ पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं  | 19.58                 | 28.26                   | 28.26                       | 29.33                   |
| च संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं                        | 976.50                | 1207.11                 | 907.10                      | 1241.48                 |
| छ पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता                      | 81195.34              | 130000.00               | 105551.00                   | 150000.00               |
| ज मांग के अंतर्गत विशेष सहायता - राज्यों को अंतरण                              | 2271.24               | 12000.00                | 13000.00                    | 20000.00                |
| झ मांग - जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजाति क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता | 1351.87               | ...                     | ...                         | ...                     |
| <b>II. वित्त आयोग अनुदान</b>   | <b>172759.68</b>      | <b>165480.00</b>        | <b>140429.00</b>            | <b>132378.17</b>        |
| क स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय                                   | 17779.25              | 24222.00                | 19222.00                    | 25653.00                |
| ख स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय                                | 45577.75              | 47018.00                | 40778.00                    | 49800.00                |
| ग स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान @  | 3308.88               | 13851.00                | 4000.00                     | 6004.17                 |
| घ नए शहरों के उद्भवन के लिए अनुदान @   | ...                   | 4000.00                 | 200.00                      | 500.00                  |
| ङ साझी नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान  | ...                   | 250.00                  | 90.00                       | 250.00                  |
| च एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान  | 16392.80              | 19572.80                | 19572.80                    | 20550.40                |
| छ राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान                                       | 3500.00               | 4893.20                 | 4893.20                     | 5137.60                 |
| ज अवमूल्यन के पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान                                       | 86201.00              | 51673.00                | 51673.00                    | 24483.00                |
| <b>III. राज्यों को अंतरण [(I)+(II) को छोड़कर]</b>                              | <b>566884.39</b>      | <b>651584.10</b>        | <b>636299.59</b>            | <b>686948.07</b>        |
| क केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाएं (राजस्व)^*                                     | 405918.12             | 453145.38               | 439314.07                   | 479604.86               |
| ख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत^  | 12866.66              | 64571.34                | 64172.24                    | 63363.98                |
| ग व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत^   | 148097.61             | 133764.38               | 132712.28                   | 143876.23               |
| घ पूंजीगत अंतरण  | 2.00                  | 103.00                  | 101.00                      | 103.00                  |

| IV. दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर को अंतरण |   | 56198.76         | 50836.99          | 56757.30         | 57797.62          |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| क   | केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाएं (राजस्व)      | 7054.66          | 10772.05          | 10162.49         | 10861.50          |
| ख   | केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत (राजस्व) | 361.62           | 197.71            | 286.59           | 221.36            |
| ग   | व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)  | 48782.48         | 39867.21          | 46308.20         | 46514.75          |
| घ   | पूंजीगत अंतरण                               | ...              | 0.02              | 0.02             | 200.01            |
| <b>कुल जोड़</b>                                   |   | <b>916209.13</b> | <b>1051514.47</b> | <b>994472.26</b> | <b>1101768.67</b> |

यह विवरण राज्यों से संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आवंटन और राज्यों से संबंधित राजस्व व्यय भाग के अंतर्गत कतिपय कार्यशील मुख्य शीर्षों को दर्शाता है। व्यय भाग राज्यों को अंतरण से संबंधित है।

^ पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम से संबंधित प्रावधान सहित।

\* इसमें राज्य राजकोष और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों दोनों के माध्यम से राज्यों को की गई राशि शामिल है।

@ उपयोग के रुझान के आधार पर आवंटन अनंतिम है, यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें बढ़ाया जा सकता है।